(वाद सं0.-1845/4/29/2020)

05.01.2022

प्रसंगाधीन मामला प्रखण्ड सत्तर कटैया, जिला–सहरसा के परिवादी, सुनीता देवी सहित कुल पांच परिवादीगण को वित्तीय वर्ष, 2015–2016 से स्वीकृत वृद्धावस्था पेंशन का भुगतान न किये जाने से संबंधित है।

उक्त के संबंध में **जिला पदाधिकारी, सहरसा** से प्रतिवेदन की मांग की गई। **जिला पदाधिकारी, सहरसा** के प्रतिवेदन के साथ अनुलग्नित **अनुमंडल पदाधिकारी, सदर सहरसा** के प्रतिवेदनानुसार " **स्वीकृत वृद्धावस्था पेंशन से संबंधित लाभुकों की जांच उनके आधार कार्ड एवं बैंक पासबुक से ई–लाभार्थी वेबसाईट पर किया गया । जांच के क्रम में पाया गया कि परिवाद में अंकित लाभुको को पेंशन का भुगतान हो रहा है। लाभुकों से पुछ–ताछ भी किया गया। उनके द्वारा लिखित में बताया गया कि उनको कोई आपत्ति नहीं है। उनको नियमित रूप से पेंशन का भुगतान हो रहा है। प्रतिवदन के साथ भुगतान विवरणी भी संलग्न की गई है।**

प्रखंड विकास पदाधिकारी, सत्तरकटैया द्वारा समर्पित जांच प्रतिवेदन के अनुसार परिवादी के समस्या का संतोषजनक निराकरण हो चुका है। अतः परिवाद को संचिकास्त किया जा सकता है। (सुलभ प्रसंग हेतु प्रखंड विकास पदाधिकारी, सत्तरकटैया के जांच प्रतिवेदन की प्रति संलग्न की जाती है।) "

अब जबकि परिवादीगण की समस्या का संतोषजनक समाधान संबधित प्राधिकार द्वारा किया जा चुका है तो ऐसी परिस्थिति में **जिला पदाधिकारी, सहरसा** के प्रतिवेदन को स्वीकार करते हुए प्रसंगाधीन मामले को मानवाधिकार अतिक्रमण की श्रेणी में ना पाकर प्रस्तुत संचिका को राज्य आयोग के स्तर पर **संचिकास्त** किया जाता है।

तद्नुसार **जिला पदाधिकारी, सहरसा** से प्राप्त प्रतिवेदन की प्रति (पृष्ठ–24–13/प0) संलग्न करते हुए आज पारित आदेश की प्रति के साथ **परिवादी** को सूचित कर दिया जाय।

(उज्ज्वल कुमार दुबे)

सदस्य

निबंधक